



कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 1119 / 12-1(2) दिनांक 6/2 /2019::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय-

जनपद रुद्रप्रयाग के जावरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Proposal No - FP/UK/ROW/40174/2019)

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उच्च स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-2780 / दिनांक 20.11.2019 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई(सि.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांक:- 2780/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि.ख.) रूद्रप्रयाग/

दिनांक 20/11/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अन्तर्गत जावरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/40174/2019)

सन्दर्भ : आपका पत्रांक- 351 / FP/UK/ROAD/40174/2019 देहरादून दिनांक 01 अगस्त 2019 महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर वनभूमि प्रस्ताव में आप द्वारा लगाई गयी कमियों का निराकरण निम्नवत् कर दिया गया है :-


1. विषय सूची में पृष्ठ संख्या तथा प्रस्ताव के पृष्ठों पर पेज संख्या अंकित कर दी गयी है।
2. प्रस्ताव का भाग-I, भाग-II एवं भाग-III पूर्व में ही दिनांक 16-07-2019 को मूल प्रति में जमा कर दिया गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः छाया प्रति प्रेषित की जा रही है।
3. मक डिस्पोजल की Calculation sheet तथा मक डम्पिंग प्लान प्रमाण पत्र में मक निस्तारण हेतु भूमि का उल्लेख किया गया है जो कि कृषकों की नाप भूमि है तथा सिविल भूमि ली गयी है।
4. प्रस्ताव में 1.456 हे० वन भूमि मार्ग द्वारा प्रभावित हो रही है तथा मक निस्तारण हेतु 0.045 हे० भूमि जिसका योग $1.456 \text{ हे०} + 0.045 \text{ हे०} = 1.501 \text{ हे०}$ आती है। अतः कुल प्रस्तावित वन भूमि 1.501 हे० है।
5. पूर्व निर्मित जावरी जयकण्डी मार्ग की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति, Topo sheets, वारचार्ट संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। क्योंकि उक्त प्रस्ताव की मूल प्रति नोडल को प्रेषित कर दिये गये थे। जिस कारण सत्यापित प्रति प्रेषित की जा रही है।
6. मार्ग की वित्तीय स्वीकृति संलग्न कर दी गयी है। पृष्ठ संख्या- 07 से 08 पर अंकित है।
7. ऑथोरिटी लेटर में अधिशाली अभियन्ता का नाम उल्लेखित कर दिया गया है।
8. प्रस्ताव के हिन्दी प्रपत्र-I एवं प्रपत्र-II में सूचनाएं सही कर दी गयी हैं।
9. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में रिक्त स्थान पर सूचनाएं भर दी गयी हैं। पृष्ठ संख्या 18 पर अंकित है।

क्रमशः : 2

10. प्रस्ताव से अनावश्यक प्रपत्र हटा दिये गये हैं तथा एस0आई0आर0 (मूल प्रति) को पूर्व में ही दिनांक 21-08-2019 को जमा कर दिया गया था।
11. प्रस्ताव में सी0डी0 का उल्लेख त्रुटिवश लिख दिया गया था जो कि सही कर दिया गया है।
12. प्रस्ताव में लम्बाई एवं चौड़ाई प्रमाण पत्र में कुल भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है। पृष्ठ संख्या- 38 पर अंकित है।
13. वृक्षों के वैज्ञानिक नाम की सूची संलग्न कर दी गयी है। पृष्ठ संख्या- 43 पर अंकित है।
14. सी0एफ0 की एस0आई0आर0 रिपोर्ट दिनांक 21-08-2019 को नोडल ऑफिस में जमा कर दी गयी थी।
15. विद्यमान वृक्षों एवं वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूचना भर दी गयी है। पृष्ठ संख्या- 50 पर अंकित है।
16. प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी 9.50 किमी0 सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
17. प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 प्रपत्र मूल में संलग्न किया गया है। पृष्ठ संख्या- 61 एवं 64 पर अंकित है।
18. एफ0आर0ए0 2006 मूल में संलग्न किया गया है। पृष्ठ संख्या- 61 एवं 64 पर अंकित है।
19. भू-वैज्ञानिक की आख्या संलग्न किया गया है। पृष्ठ संख्या- 27 से 28 पर अंकित है।
20. लाभान्वित ग्रामों का प्रपत्र सही कर दिया गया है। पृष्ठ संख्या- 87 पर अंकित है।
21. सी0ए0 प्रपत्र सही कर संलग्न कर दिया गया है। पृष्ठ संख्या- 89 से 94 पर अंकित है।
22. मक डिस्पोजल में सूचनाएं भर दी गयी हैं। पृष्ठ संख्या- 89 से 94 पर अंकित है।
23. सी0ए0 भूमि जियो-रिफरेन्सड मानचित्र में स्थल का नाम उल्लेख कर दिया गया है। पृष्ठ संख्या- 102 से 112 पर अंकित है।
24. एन0पी0वी0 प्रमाण पत्र सही कर दिया गया है। पृष्ठ संख्या- 113 पर अंकित है।
25. सी0ए0, आर0एफ0 क्षेत्र में लिया गया है तो Ownership वन विभाग ही है।
26. कुछ प्रमाण पत्र जिनमें अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं किन्तु सूचनायें अधूरी हैं को सही कर दिया गया है।
27. ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त सभी प्रपत्र मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग।